संख्या-15 /1279 प्रो0/51-2014-14(31)/2012

प्रेषक,

इन्द्र राज सिंह,
उप सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मथुरा।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ: दिनांक 30 अक्टूबर , 2014

विषय: राज्य अतिथि के सेवा सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-23/नौ-बी/नाजिर/वाहन वी.आई.पी./2014, दिनांक 29 अप्रैल, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित निम्नलिखित देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रू0-84,876.00(रूपये चौरासी हजार आठ सौ छिहत्तर मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र0सं0	राज्य अतिथि का नाम/पदनाम/यात्रा की तिथि/वाहन संख्या/देयक संख्या/दिनांक	धनराशि
1	मा0 न्यायमूर्ति श्री जे0के0 माहेश्वरी, मा0 उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश दिनांक 03-10-2012, वाहन संख्या-यू0पी0-32, बी0एन0-5932, देयक संख्या-आगरा-00633 दिनांक 12-06-2012	रू0-7,781.00
2	-तदैव- दिनांक 20-04-2012 से 21-04-2012 तक, वाहन सं0-यू0पी0-32, ए0एन0-8103 देयक संख्या-आगरा-00616, दिनांक 30-04-2012	रू0-12,214.00
3	मा0 न्यायमूर्ति श्री पी0के0 माहेश्वरी, मा0 उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश दिनांक 27-06-2012, वाहन संख्या-यू0पी0-32, बी0एन0-5932, देयक संख्या-आगरा-00640 दिनांक 30-06-2012	रू0-6,349.00
4	श्री विजय बहुगुणा जी, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार, दि0-12-03-2013 से 13-03-2013 तक, वाहन सं0-यू0पी0-32, बी0एन0-3248, देयक सं0-आगरा-00848 दि0-30-03-2013	रू0-29,778.00
5	मा0 न्यायमूर्ति श्री के0के0 लाहोटी, मा0 उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश दि0-14-02-2013 से 17-02-2013 तक, वाहन सं0-यू0पी0-32, बी0एन-3248 देयक संख्या-आगरा-00792, दिनांक 28-02-2013	रू0-17,840.00
6	मा0 न्यायमूर्ति, एन0के मोदी, जज, मा0 उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश दिनांक 15-02-2013 से 17-02-2013 तक, वाहन सं0-यू0पी0-32, ए0एन0-8104, देयक संख्या-आगरा-00782, दिनांक 28-02-2013	रू0-10,914.00
	(रूपये चौरासी हजार आठ सौ छिहत्तर मात्र) कुल योग	रू0-84,876.00

2- कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से संबंधित देयक मूलरूप में वापस किया जा रहा है।

http://bhoomadesh.up.nic.in

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- ''2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093- जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्री स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः मूलदेयक।

भवदीय,
इन्द्र राज सिंह
उप सचिव।

संख्या- 1279 (1) प्रो0/51-2014-14(31)/2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
3- कोषाधिकारी, मथुरा।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम, लखनऊ।
5- क्षेत्रीय प्रबंधक, उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम, आगरा/मथुरा।
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
इन्द्र राज सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in